**एक विवाह की बातिलीकरण के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 43) याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है –**

1. याची प्रत्यर्थी का पति / पत्नी है। पक्षकारों के बीच विवाह तारीख ......... ...................... को ......... ...................... में .................. के विवाह अधिकारी द्वारा अधिनियम के अध्याय II/ अध्याय III के अधीन अनुष्ठापित एवम् रजिस्ट्रीकृत कराया गया। विवाह के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि याचिका के साथ उपाबद्ध की जाती है।
2. विवाह के पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों का स्तर एवम् निवास स्थान निम्नलिखित रूप में थे –

|  |
| --- |
| पति |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |
| पत्नी |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |

1. (इस पैरा में, उनके लिंग, जन्म तिथियों या आयु के साथ-साथ विवाह के संतानों के नामों का कथन करें यदि कोई हो)
2. (यहाँ कानूनी आधारों में से एक या अधिक का विवरण दें जिस पर अनुतोष की माँग की जाती है। जिन तथ्यों पर अनुतोष का दावा आधारित बनाया जाता है उनका कथन वैसे पृथक तौर पर किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करती हो)
3. किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के अनुतोष के बारे में कोई पूर्व कार्यवाही नहीं की गयी है।

या

किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्व कार्यवाहियां हुई है।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम  | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति  | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष  | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित  | परिणाम  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. इसका कोई अन्य आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
2. विवाह ................. में अनुष्ठापित किया गया। पक्षकारगण ............. में अंतिम बार निवास करते है। पक्षकारगण ................ में अंतिम बार साथ-साथ निवास करते थे।

या

(जहाँ याचिका जम्मू एवम् काश्मीर राज्य के सिवाय भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में अधिवासी एक पत्नी द्वारा है) याची जम्मू एवम् काश्मीर राज्य के सिवाय भारत के राज्य क्षेत्रों के अन्दर निवासी है और साधारणतया इस याचिका की प्रस्तुति शीघ्र कार्यवाही के तीन वर्षों की एक कालावधि के लिए उसमें साधारण तौर पर निवासी हो गया है।

1. याची निवेदन करता है कि माननीय न्यायालय के पास इस याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता है।
2. अतएव याची यह प्रार्थना करता है कि विवाह के पक्षकारों के बीच शून्यकरणीय होने के कारण अकृतता की एक डिक्री द्वारा न्यायालय द्वारा बातिलकर दिया जाय।

याची

**सत्यापन**

ऊपर नामित किया गया याची इस सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर कथन करता है कि याचिका के पैरा ................ लगायत ............................... याची की जानकारी में सत्य है और पैरा .......................... लगायत ...................... उसके द्वारा सत्य होने वाली प्राप्त की गयी तथा विश्वास की गयी याची की सूचना में सत्य में है।

............... में इस तारीख ................. को सत्यापित किया गया।

याची